

19/12/18 अदिवक्त) प्रायोगिक एका प्रायोगिक स्वयं अनुपस्थित।  
आज उन्हे अदालत उठे तब तीन बार आवाज  
लावाई गई परन्तु प्रायोगिक की ओर से कोई  
अदालत उपस्थित नहीं आया।

अतः प्रकरण प्रायोगिक एवं उन्हे अदिवक्त अनुपस्थित  
रहे के प्रकरण अदालत परवी शुद्ध मामिली के  
स्वार्थिक विना जमा है। निर्णय शुद्ध न्यायालय शुद्धागत  
मिलाल प्रसिल शुभर होकर नम्बर से कम होकर  
दरिदल दफ्तर की जाये।

(परवतसिंह घुण्डावत)  
उपजज अधि. एवं सहायक जज  
महारा (अजमेर) राज.

